न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 157/2024

अनवान : –

1. पंकज पुत्र मुखराम (मंदबुद्धि) जरिये संरक्षिका माता तुलछी पत्नी मुखराम जाति बावरी निवासी असरजाना तहसील तहसील नोहर।
2. तुलछी पुत्री मुखराम जाति बांवरी निवासी असरजाना तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. खेताराम पुत्र मोहना जाति बांवरी निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः -03/12/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 24/23 की कुल 7.9550 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है। गैरसायल संख्या 1 के कुल 7 संतान हुए जिनमें से मुखराम का स्वर्गवास हो चुका है। वाद भूमि में सायल का गैरसायल स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। गैरसायल स0 1 जो की सायल का दादा है अपनी नाजायज जरूरतों को पुरा करने के लिए वाद भूमि का बेचान करना चाहता है। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः गैरसायल को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया की अप्रार्थी संख्या 1 का देहान्त हो चुका है मृतक के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो की खारिज योग्य है तथा मदनलाल पुत्र खेताराम का देहांत हो चुका है एवं मदनलाल की पत्नी को फरिक नही बनाया गया है इसलिए दावा व प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष [illegible] [illegible] बहस पर मनन किया [illegible] पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र वजमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उ[illegible]न्त इस नतीजे पर [illegible] कि वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

अप्रार्थी का कथन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध जारी की गई है जबकि अप्रार्थी स0 1 का देहांत हो चुका है पत्रावली में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 का देहांत हो चुका है। अतः मृतक के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान को पक्षकार संयोजित करने की कार्यवाही मूल वाद में कि जानी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है तो अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीग का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 26.06.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/12/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:16 IST
Reason: SelfAttested